

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA



दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-20012022-232780
SG-DL-E-20012022-232780

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 27]	दिल्ली, बुधवार, जनवरी 19, 2022/पौष 29, 1943	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 376
No. 27]	DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 19, 2022/PAUSHA 29, 1943	[N. C. T. D. No. 376

भाग IV PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

महिला एवं बाल विकास विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 13 जनवरी, 2022

फा. सं. 8 (50)/ प्रशा./ म.बा.वि/RR for नर्सिंग अर्दली/2021/626.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 13 जुलाई, 1959 की अधिसूचना सं. फा. 27/59—एचआईएम (i) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सेवा विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से पूर्व परामर्श के पश्चात राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, महिला एवं बाल विकास विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में नर्सिंग अर्दली के पद हेतु भर्ती नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

- संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ :— (i) इन नियमों को 'महिला एवं बाल विकास विभाग, नर्सिंग अर्दली, भर्ती नियमावली, 2021' कहा जायेगा।
(ii) ये दिल्ली राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।
- पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर:— उक्त पदों की संख्या, इनका वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।
- भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यताएं इत्यादि:— उक्त पदों की भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यताएं एवं इससे संबंधित अन्य मामलों उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

4. **अयोग्यता :-** वह व्यक्ति,

- (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है या
- (ख) जो एक जीवित पति/पत्नी के होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह कर चुका है या विवाह अनुबंध कर चुका है, वह उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

शर्त यह है कि यदि सरकार संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति एवं विवाह के अन्य पक्ष पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत है और ऐसा करने के लिये अन्य आधार हैं किसी ऐसे व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन की छूट दे सकती है।

5. **शिथिल करने की शक्ति :-** जहां सरकार का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक समीचीन है, तो वह कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए आदेश द्वारा व्यक्तियों की किसी श्रेणी या वर्ग के इन नियमों के किसी उपबंध को छूट दे सकती है।6. **बचाव:-** इन नियमों में किसी उल्लेख से केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिये अपेक्षित आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।**अनुसूची**

1.	पदनाम	:	नर्सिंग अर्दली
2.	पदों की संख्या	:	04*(2021) *परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर
3.	वर्गीकरण	:	सामान्य केन्द्रीय सेवा ग्रुप "ग" अराजपत्रित अलिपिकीय
4.	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	:	स्तर-1, (18000-56900/-रुपये)
5.	क्या चयन पद है अथवा गैर चयन पद	:	लागू नहीं
6.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा	:	18 और 25 वर्ष के बीच * *यदि सीधी भर्ती 'सीधी खुली प्रतियोगी परीक्षा द्वारा की जाती है तो आयु सीमा 18 और 27 वर्ष के बीच होगी। टीप:- 1 -केन्द्र सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार विभागीय उम्मीदवारों के लिये अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष तक शिथिलनीय। टीप :-2 आयु सीमा निर्धारण के लिए निर्णायक तिथि दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड/सक्षम प्राधिकारी द्वारा विज्ञापन के अनुसार होगी।
7.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं	:	अनिवार्य :- (i) मान्यता प्राप्त बोर्ड से दसवीं कक्षा उत्तीर्ण। (ii) केन्द्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से प्राथमिक चिकित्सा (फर्स्ट एड) प्रमाण-पत्र। (iii) पचास बिस्तर वाले अस्पताल में कार्य करने का एक वर्ष का अनुभव। टीप -1 अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में लिखित में कारणों को अभिलेखबद्ध करते हुए योग्यताएं सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर शिथिलनीय है। टीप - 2 यदि चयन की किसी अवस्था में सक्षम प्राधिकारी के अभिमत से अनुसूचित जाति/जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्त पदों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले इन जातियों के उम्मीदवारों के पर्याप्त संख्या में मिलने की संभावना नहीं है, तो अनुभव संबंधी योग्यताएं कारणों को अभिलेखबद्ध करते हुए सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर शिथिलनीय है।
8.	क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी।	:	लागू नहीं

9.	परीवीक्षा की अवधि, यदि कोई है	:	दो वर्ष
10.	भर्ती की पद्धति सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/समावेशन द्वारा विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत	:	सीधी भर्ती द्वारा टीप:- पदधारियों द्वारा एक वर्ष या अधिक अवधि के लिये प्रतिनियुक्ति पर जाने या लम्बी रुग्णता या अध्ययन अवकाश या अन्य परिस्थितियों के कारण हुई रिक्तियां केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र के अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति द्वारा भरी जा सकेंगी। (क) नियमित आधार पर समरूप पदधारी तथा (ख) कॉलम 7 के अर्न्तगत सीधी भर्ती के लिए निर्धारित योग्यताएं एवं अनुभव रखने वाले
11.	यदि पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति / समावेशन द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / समावेशन किया जाना है	:	लागू नहीं।
12.	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो इसकी संरचना क्या है।	:	वर्ग "ग" पदोन्नति पर स्थाईकरण पर विचारार्थ विभागीय पदोन्नति समिति, (i) प्रधान सचिव /सचिव (प्रशासनिक सुधार) – अध्यक्ष (ii) सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग –सदस्य (iii) उप-सचिव (सा0प्र0वि0), –सदस्य
13.	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।	:	लागू नहीं

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से और उनके नाम पर,

अतुल पाण्डेय, उप-निदेशक (प्रशासन)

DEPARTMENT OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 13th January, 2022

F. No. 8(50)/Admn./WCD/RR for Nursing Orderly/2021/626.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, notification number F-27/59-Him. (i), dated the 13th July, 1959, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, after prior consultation with the Services Department, Government of the National Capital Territory of Delhi is pleased to make recruitment rules for the post of Nursing Orderly in the Department of Women and Child Development, Government of National Capital Territory of Delhi, namely: -

1. Short title and commencement: - (i) These rules may be called the 'Department of Women and Child Development, Nursing Orderly, Recruitment Rules, 2021'.

(ii) They shall come into force from the date of their publication in the Delhi Gazette.

2. Number of Posts, Classification and level in the pay matrix: - The number of the said posts, their classification and Level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, Qualifications, etc: - The method of recruitment to the said posts, age limit, qualification and other matters connected therewith, shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification: - No person:-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with a person, shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Government may, if satisfied, that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Powers to relax: - Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by an order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving: - Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the order issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post.	Number of posts.	Classification.	Level in the pay matrix.	Whether selection or non-selection post.	Age limit for direct recruits.
1	2	3	4	5	6
Nursing Orderly.	04* (2021) *Subject to variation dependent on work load.	General Central Service, Non-Gazetted, Non-Ministerial, Group-‘C’	Level – 1 (Rs. 18000-56900)	Not Applicable.	Between 18 and 25 years* *In case of post being filled up by All India open competition, it would be between 18 years and 27 years. Note 1: The upper-age limit is relaxable for departmental candidate upto 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time. Note 2: The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by Delhi Subordinate Services Selection Board/Competent Authority.

Educational and other qualification required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruitment will apply in the case of promotees.
7	8
Essential:- (i) 10 th Standard pass or its equivalent qualification from a recognized Board; (ii) First Aid Certificate from an institution recognized by the Central Government or a State Government, and (iii) One year experience in hospital work in a fifty bedded hospital. Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Competent Authority, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified.	Not Applicable.

Note 2: The qualification (s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Competent Authority, for reasons to be recorded in writing, in case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes, if at any stage of selection the Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.

Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
9	10	11	12	13
Two years.	By Direct Recruitment. Note: "Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of Central Government/State Govt./UTs. (a) holding analogous posts on regular basis and (b) Possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits under Col.7".	Not Applicable.	Group 'C' Departmental Promotion Committee for considering confirmation: 1. Pr. Secretary/Secretary (AR) - Chairman 2. Secretary, DWCD GNCTD - Member 3. Dy. Secretary (GAD) - Member	Not applicable.

By Order and in the Name of the Lt. Governor of
the National Capital Territory of Delhi,
ATUL PANDEY, Dy. Director (Admn.)